कार्यालय : छात्र संघ, चुनाव संचालन समिति
राठ महाविद्यालय पैंठाणी
पो0 – पैंठाणी,पट्टी –कण्डारस्यूँ, जिला–पौडी गढवाल 246123
सम्बद्ध –हे0नं0ब0 केंद्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढवाल)

अधिसूचना :छात्र संघ चुनाव 2025–26
राठ महाविद्यालय पैंठाणीं

राठ महाविद्यालय, पैंठाणी के समस्त नियमित (संस्थागत) छात्र–छात्राओं को सूचित किया जाता है कि छात्र संघ निर्वाचन सत्र 2025–26 का कार्यक्रम निम्नवत निर्धरित किया जाता है –

पदाधिकारियों का नाम –

अध्यक्ष – (01) उपाध्यक्ष (01) सचिव (01) सहसचिव (01) कोषाध्यक्ष (01) कार्यकारिणी सदस्य (06+01ε) विश्वविद्यालय छात्र संघ प्रतिनिधि (01) ε – छात्राओं के लिए आरक्षित

कार्यक्रम :

क0	विवरण	दिनॉक / समय / स्थान
1.	नामांकन तिथि	18–09–2025 पूर्वान्हि 10:30 प्रातः से अपरान्ह 02:30 बजे तक 19–09–2025 पूर्वान्ह 10:30 प्रातः से अपरान्ह 02:30 बजे तक
2.	नामांकन पत्रों की जॉच	19–09–2025 अपरान्ह 2:30 के उपरान्त
3.	वैध प्रत्याशियों के नामों की घोषणा	20–09–2025 पूर्वान्ह 10:30 बजे
4.	नामांकन वापसी की तिथि	20–09–2025 पूर्वान्ह 11:30 बजे से अपरान्ह 1:00 बजे तक
5.	प्रत्याशियों के नामों की अंतिम सूची की घोषणा	20–09–2025 अपरान्ह 2:00 बजे के पश्चात
6.	मतदान	27–09–2025 प्रातः 8:30 बजे से अपरान्हन 12:30 बजे तक
7.	मतगणना	27–09–2025 अपरान्हन 01:30 बजे से प्रारम्भ
8.	चुनाव परिणामों की घोषणा	27–09–2025 मतगणना पूर्ण होंनें के तत्काल बाद
9.	छात्र संघ पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण	27–09–2025 चुनाव परिणाम घोषणा के तत्काल बाद (महाविद्यालय सभागर मे)

आवश्यक निर्देश –

Scanned with OKEN Scanner

1. नामांकन पत्र राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यालय से 17.09.2025 से 19.09.2025 को पूर्वाहन 10:30 से अपरान्हन 2:00 बजे तक रू0 100.00 अदा कर प्राप्त किए जा सकते हैं । नामांकन पत्र पर परिसर निदेशक के हस्ताक्षर एवं सील होंना अनिवार्य है।

2. नामांकन पत्र दिनॉक 18.09.2025 एवं 19.09.2025 को चुनाव अधिकारी नामांकन कार्यालय (राष्ट्रीय सेवा योजना (एन0एस0एस0) कार्यालय) से प्रातः 10:30 से सांय 2:30 तक दाखिल किए जा सकते हैं।

3. प्रत्याशी तथा उसके प्रस्तावक एवं अनुमोदक छात्रों का इस महाविद्यालय का नियमित/संस्थागत छात्र/छात्रा होंना आवश्यक है। इसके परिणाम के लिए प्रत्याशी के प्रस्तावक व अनुमोदक स्वय उपस्थित होकर अपनीं मूल शुल्क रशीद एवं महाविद्यालय द्वारा निर्गत वैध पहचान पत्र अपनें साथ अवश्य लाऐं ।

4. छात्र संघ के समस्त पदाधिकारियों तथा कार्यकारिणी के सदस्यों के लिए चुनाचव लडनें हेतु स्नातक स्तर आयु सीमा न्यूनतम 17 वर्ष एवं अधिकतम 22 वर्ष होगी। स्नातकोत्तर स्तर पर अधिकतम आयु 25 वर्ष होगी। आयु निर्धारण की तिथि 01.07.2025 होगी।

5. चुनाव वर्ष 2025–26 में प्रत्याशी का कोई भी अकादमिक ऐरियर (बैक) आदि लम्बित नहीं होंना चाहिए ।

6. छात्र संघ कार्यकारिणी के सदस्य किसी भी संकाय के हो सकते हैं, तथा प्रत्येक प्रतिनिधि हेतु प्रस्तावक एवं अनुमोदक किसी भी संकाय का संस्थागत छात्र–छात्रा हो सकता/सकती है।

7. एक प्रत्याशी मात्र एक पद के लिए उम्मीदवारी प्रस्तुत कर सकता है। संपूर्ण शिक्षण काल की अवधि में छात्र संघ पदों यथा– अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव एवं कोषाध्यक्ष के लिए मात्र एक बार तथा विश्वविद्यालय छात्र संघ प्रतिनिधि (यू0आर0) के लिए मात्र दो बार चुनाव लड सकता है।

8. एक छात्र/छात्रा किसी भी पद हेतु एक ही प्रत्याशी का प्रस्ताव अथवा अनुमोदन कर सकेगा । अन्यथा की स्थिति में नामांकन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

9. प्रत्याशियों को हाई स्कूल, इंटरमीडिएट एवं स्नातक प्रथम वर्ष से लेकर सभी कक्षाओं के अंक तालिकाऐं एवं जन्म तिथि प्रमाण पत्र (हाई स्कूल प्रमाण पत्र) मूल रूप में दिखाना होगा , एवं स्वयं सत्यापित प्रतिलिपियॉ नामांकन पत्रों के साथ सलग्न करनीं होगी। गैप वर्षों के लिए स्टॉप पेपर पर प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/पब्लिक नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होाग कि गैप वर्षों में प्रत्याशी नें क्या किया ? एवं यह भी घोषणा करनीं होगी कि उक्त अवधि में व किसी आवांछनीय कार्यों में संलिप्त नहीं रहा/रही है।

Scanned with OKEN Scanner

10. मतदान स्थल पर मतदाता की पहचान, महाविद्यालय द्वारा निर्गत वैध पहचान पत्र तथा प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्राचार्य प्रपत्र से सुनिश्चित की जायेगी, आवश्यकता पडनें पर आधार कार्ड भी पहचान पत्र के रूप में मांगा जा सकता है।

11. छात्र संघ चुनाव 2025–26 की अधिसूचना जारी होंनें के तुरंत बाद महाविद्यालय परिसर में चुनाव आचार संहिता (लिंगदोह समिति के अनुसार) लागू रहेगी ।

12. महाविद्यालय/न्यायालय द्वारा विधिक रूप से दण्डित छात्र/छात्रा, छात्र संघ के किसी भी पद का चुनाव नहीं लड सकेगा/सकेगी । उक्त संबंध में अनिवार्य रूप से शपथ पत्र रू0 10 के स्टांम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित कर देंना होगा।

13. नियमों के उल्लंघन करनें, अपूर्ण नामांकन पत्र जमा करनें या पूर्ण सूचना न देंनें की स्थिति में नामांकन पत्र रद्द होंनें पर किसी भी प्रकार की क्षति के लिए प्रत्याशी पूर्णतया स्वयं उत्तरदायी होंगें।

14. छात्र संघ निर्वाचन में भाग लेंनें वाले सभी प्रत्याशी, उनके प्रस्तावक/अनुमोदक व समर्थक तथा मतदाता सभी इसी महाविद्यालय के सत्र 2025–26 के संस्थागत/नियमित छात्र/छात्रा होंगें। प्रत्याशी को शपथ पत्र पर स्पष्ट घोषणा करनीं होगी कि उसके द्वारा दी गई सूचनाऐं सत्य हैं, और किसी भी प्रविष्टि के असत्य पाये जानें पर उसके विरूद्व कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, साथ ही उसका नामांकन/निर्वाचन अवैध घोषित किया जायेगा।

15. निर्वाचित छात्र संघ का कार्यकाल शैक्षिणिक सत्र 2025–26 होगा।

16. प्रत्येक प्रत्याशी को अपनें चुनाव प्रचार में रू0 5000.00 (रू0 पॉच हजार) से अधिक की धनराशि व्यय करनें का अधिकार नहीं होगा । इससे अधिक धन व्यय करनें पर प्रत्याशी कव निर्वाचन रद्द किया जायेगा।

17. प्रत्येक अभ्यर्थी को चुनाव परिणाम की घोषणा के दो सप्ताह के अंदर संपूर्ण चुनाव खर्च का प्रमाणित लेख–जोखा, मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय में आवश्यक रूप से जमा करना होगा ।

18. प्रत्याशी नें प्रवेश तिथि/अध्यापन प्राराम्भ होंनें की तिथि जो भी बाद में हो से अपनीं समस्त कक्षाओं में पृथक–पृथक न्यूनतम 75% उपस्थिति भी हो। उपस्थिति प्रमाण पत्र संबंधित विषयों के विभागाध्यक्षों द्वारा जारी किए जायेंगें।

19. संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया लिंगदोह समिति की संस्तुतियों एवं महाविद्यालय स्तर पर छात्र संघ गठन संबंधी नियमों के अधीन संपन्न की जायेगी।

20. छात्र संघ निर्वाचन के पश्चात यदि किसी भी पद के लिए दो या दो से अधिक प्रत्याशियों को समान मत मिलते हैं तो उस स्थिति में लाटरी (ड्रॉ) प्रक्रिया अपना कर विजेता घोषित किया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिलिपि सूचनार्थः—

1. समस्त सदस्य छात्र संघ चुनाव समिति राठ महाविद्यालय पैठाणी
2. विभागाध्यक्ष, शिक्षा, कला/शारीरिक शिक्षा विभाग राठ महाविद्यालय पैठाणी
3. कला संकाय विभिन्न विषयों के प्राध्यापकगणों उनके विषय वाट्स अप whatɘs up ग्रुपों में प्रेषित, छात्र—छात्राओं सूचित करनें के उद्देश्य से।
4. कार्यालय अधीक्षक राठ महाविद्यालय पैठाणीं
5. थाना प्रभारी, पैंठाणी
6. तहसीलदार तहसील चाकीसैंण पौडी गढवाल
7. महाविद्यालय (सभी विभागों के) सूचना पट
8. गार्ड फाइल

सदस्य छात्र संघ चुनाव संचालन समिति—

1. डॉ0 देव कृष्ण
2. डॉ0 मनोज कुमार सिंह MK Singh
3. डॉ0 मंजीत सिंह भंडारी MSBhandari

(डॉ0 जितेंद्र कुमार नेगी)
प्राचार्य/संरक्षक

Scanned with OKEN Scanner